

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2021—कार्तिक 21, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु सूचित हो कि मैं, राजेश शाक्य पुत्र स्व. श्री मूलचंद शाक्य, आयु व्यस्क, निवासी म. नं. 504, आचार्य नरेन्द्रदेव नगर, पुराना सुभाष नगर, हनुमान मंदिर के पास, भोपाल, म. प्र. घोषणा करता हूँ कि मेरी एलआईसी पॉलिसी क्रमांक 350938303 है जिसमें मेरा नाम त्रुटिवश राकेश शाक्य हो गया है जबकि वास्तविक नाम राजेश शाक्य पुत्र स्व. श्री मूलचंद शाक्य जो सही एवं सत्य है। अतः मेरी एलआईसी पॉलिसी क्रमांक 350938303 में मेरे नाम को राकेश शाक्य के स्थान पर राजेश शाक्य पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(राकेश शाक्य)

(G-726)

नया नाम

(राजेश शाक्य)

निवासी म. नं. 504, आचार्य नरेन्द्रदेव नगर,
पुराना सुभाष नगर, हनुमान मंदिर के पास,
भोपाल, म. प्र.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेजों में आत्मज के नाम में मनोज साहू गलती से लिखा गया है जबकि सही नाम मनोज कुमार साहू है। अतः मुझे मनोज कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम

(मनोज साहू)

(G-727)

नया नाम

(मनोज कुमार साहू)

23, घोड़ा निक्कास, भोपाल (म. प्र.),

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम परमेश्वरी वावलानी पुत्री श्री फेरूमल वावलानी है, हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर रेखा बुधानी पत्नी श्री किशनचन्द बुधानी हुआ है तथा मैं उपरोक्त नाम से जानी व पहचानी भी जाती हूँ

पुराना नाम

(परमेश्वरी वावलानी)
पुत्री- श्री फेरूमल वावलानी

(G-728)

नया नाम

(रेखा बुधानी)
पत्नी- श्री किशनचन्द बुधानी
निवासी-एफ-1, आयुष टॉवर,
गोविंद गार्डन, रायसेन रोड, भोपाल.

CHANGE OF SURNAME

I, Prakash Bamrele declare that my daughter Rashmi Bamreley (DOB 15-12-2006) has been entered in surname Spelling from Bamreley to Bamrele. In Future my daughter will be known as Rashmi Bamrele D/o Prakash Bamrele.

(PRAKASH BAMRELE)

S/o Shri Kaluram,
93, Krishnapuram, Sanjeiv Nagar,
New Jail Road, Nevri, Huzur,
Bhopal, Madhya Pradesh.

(G-729)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम दीपा आयलानी पुत्री श्री लक्ष्मणदास आयलानी है, सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार विवाह उपरांत मेरा नाम गरिमा पमनानी पत्नी श्री मनोहर पमनानी होकर प्रचलित है तथा मैं उपरोक्त नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ

पुराना नाम

(दीपा आयलानी)
पुत्री- श्री लक्ष्मणदास

(G-730)

नया नाम

(गरिमा पमनानी)
पत्नी- श्री मनोहर पमनानी
निवासी-114, नयापुरा, तूकोगंज,
मार्ग, देवास (म. प्र.) 455001.

नाम परिवर्तन

मैं, राजश्री शाक्यवार, 6, साउथ सिटी एनक्लेव, ई-8 एक्सटेंशन, भोपाल अपना नाम बदलकर तरुणा शाक्या शपथ-पत्र क्रमांक 816392, दिनांक 20-07-2021 के माध्यम से नोटरी पी.एन. विश्वकर्मा के समक्ष कर लिया है.

पुराना नाम

(राजश्री शाक्यावार)

(G-731)

नया नाम

(तरुणा शाक्या)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम प्रेम शर्मा (PREM SHARMA) से परिवर्तित कर नया नाम प्रेम नारायण शर्मा (PREM NARAYAN SHARMA) अंकित व दर्ज करवाना चाहता हूं, अतः अब मुझे मेरे नये नाम प्रेम नारायण शर्मा (PREM NARAYAN SHARMA) से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम (प्रेम शर्मा) (PREM SHARMA)	नया नाम (प्रेम नारायण शर्मा) (PREM NARAYAN SHARMA)
(G-732)	निवासी-जाट साहब के मकान के सामने, भार्गव कॉलोनी, गुना, जिला गुना (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

The general is informed that before Marrige my Name was Manisha Batham D/o Mr. Chandramohan Batham and after marrige solemnized on Dated 17th June 2021 my name is Jannvi Chetwani W/o Mr. Pitambar Chetwani. So I should be known by new name Jannvi Chetwani W/o Mr. Pitambar Chetwani.

Old Name (Manisha Batham) D/o Mr. Chandramohan Batham	New Name (Jannvi Chetwani) W/o Mr. Pitambar Chetwani, R/o E-14/3, S-1, Indra Vihar Colony, Airport Road, Bhopal (M. P.)
(G-733)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सुगना पिता श्री मोतीलाल था. मैंने दिनांक 22-07-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज से श्री रमेश कुमार बरूआ पिता श्री श्रीराम जी बरूआ से विवाह कर लिया है. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती सुगना बरूआ हो गया है. अतः अब मुझे श्रीमती सुगना बरूआ के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं साथ ही मेरे एवं मेरे पति के समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा एवं मेरे पति का नाम अंकित समझा जावे.

पुराना नाम (सुगना) पिता- मोतीलाल	नया नाम (सुगना बरूआ) पति- श्री रमेश कुमार बरूआ 13, विजय नगर एक्सटेंशन, इन्दौर (म. प्र.)
(G-734)	

नाम परिवर्तन

मैं, Jata Shankar Prasad Singh पुत्र Late Madho Prasad Singh आयु व्यस्क, निवासी 124-घ, मांझनकला, तह. सिंगरौली, जिला सिंगरौली हाल मुकाम भोपाल शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूं कि मेरे पुत्र Atul Kumar 10वीं एवं 12वीं सी.बी.एस.ई. के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम J. S. P. Singh दर्ज है, जो कि मेरा नाम शार्ट कट नाम है जबकि मेरा सही व पूरा नाम Jata Shankar Prasad Singh है जो कि मेरे पेन कार्ड में दर्ज है. उक्त दोनों नाम एक व्यक्ति अर्थात् मेरे स्वयं के ही हैं एवं भविष्य में मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम Jata Shankar Prasad Singh ही जाना व पहचाना जाए

पुराना नाम (J. S. P. Singh)	नया नाम (Jata Shankar Prasad Singh)
(G-735)	

CHANGE OF NAME

I Suraj Kali W/o Late Iqbal Singh Bhadoriya hereby declare that I have changed my name as Surikali Devi W/o Late Iqbal Singh Bhadoriya so from now and in future I will be known by my new name Suri Kali Devi W/o Late Iqbal Singh Bhadoriya

Old Name
(**Suraj Kali**)
W/o Late Iqbal Singh Bhadoriya
(G-736)

New Name
(**Surikali Devi**)
W/o Late Iqbal Singh Bhadoriya,
Address : 58/1, Malviya Nagar,
A. B. Road, Indore (M. P.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राम किशन पाराशर (आर. के. पाराशर) है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, मेरे ज्यादातर दस्तावेजों में मेरा संक्षिप्त नाम ही लिखा हुआ है किन्तु मेरी पत्नी के कुछ दस्तावेज में किसी त्रुटी से मेरा नाम राम किशन पाराशर के स्थान पर राम किशोर पाराशर लिखा गया है. अतः मेरे एवं मेरी पत्नी के सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम राम किशन पाराशर से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(राम किशोर पाराशर)
(G-737)

नया नाम
(राम किशन पाराशर)
म. 61, दमोह रोड, शिवनगर
चेरीताल वार्ड, जबलपुर, (म. प्र.)

CHANGE OF NAME

I Lavish Jain have changed my name to Lavish Badjatya S/o Pradeep Kumar and now I would be known as Lavish Badjatya S/o Pradeep Kumar

Old Name
(**Lavish Jain**)
(G-738)

New Name
(**Lavish Badjatya**)
14, Kunjaban Colony,
Kesar Baag Road, Indore (M. P.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम लता पाराशर था जिसे मैंने परिवर्तित करके सुशीला देवी पाराशर कर लिया है. अतः मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम सुशीला देवी पाराशर से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(लता पाराशर)
(G-739)

नया नाम
(सुशीला देवी पाराशर)
म. 61, दमोह रोड, शिवनगर
चेरीताल वार्ड, जबलपुर, (म. प्र.)

CHANGE OF SURNAME

I hereby declare that, I have changed my name's spelling and surname from "Nina Gupta" to "Neena Agrawal". Henceforth I shall be known as "Neena Agrawal" for all purpose

Old Name (Nina Gupta)	New Name (Neena Agrawal)
(G-740)	Near Narsingh Temple, Sanjay Ward, Narsinghpur (M. P.)-487001.

नाम परिवर्तन

मैं राधा गोयल पत्नि श्री बनवारी लाल गोयल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम नीलम गोयल था जो मेरे पुत्र विनय गोयल के पासपोर्ट क्रमांक 3050178 में अंकित है जबकि वर्तमान में मैं, राधा गोयल पत्नि श्री बनवारी लाल गोयल के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ मेरे सभी शासकीय अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे आधारकार्ड, पेनकार्ड, समग्र आईडी, पासपोर्ट इत्यादि में मेरा नाम राधा गोयल लिखा गया है. नीलम गोयल एवं राधा गोयल मेरे ही नाम हैं एवं भविष्य में भी मैं राधा गोयल के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी. अतः मेरे पुत्र विनय गोयल के पासपोर्ट में मेरा नाम नीलम गोयल के स्थान पर राधा गोयल लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम (नीलम गोयल)	नया नाम (राधा गोयल)
(G-741)	पत्नि श्री बनवारी लाल गोयल पता—नया बाजार, लशकर, ग्वालियर.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स—नीलघन कंस्ट्रक्शन पंजीयन क्र. 01-01-01-00398-10 सन् 2009-10, पता 28, ओम नगर हलालपुर, लालघाटी में स्थित फर्म में पार्टनर (1) नीलिमा वच्छानी पत्नि घनश्याम वच्छानी (2) राजेश मूलचंद दयारामनी आत्मज मूलचंद दयारामनी, उक्त दोनों पार्टनर दिनांक 04-03-2021 से भागीदारी से पृथक् हो रहे हैं. उक्त दिनांक से निखिल वच्छानी आत्मज कमल वच्छानी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं.

मेसर्स नीलघन कंस्ट्रक्शन,
कमल वच्छानी,
(पार्टनर)

(G-742)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बंगला कंस्ट्रक्शन कम्पनी जो महेन्द्र नगर, नवादाबाद अटेर रोड, जिला भिंड में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02-43-07-00068-05 व दिनांक 20-09-2005 है. दिनांक 01-04-2021 को भागीदार (1) श्री मनीष बोहरे पुत्र श्री रामनरेश बोहरे, निवासी ग्राम कनेरा, तहसील अटेर, जिला भिंड, (2) श्री रामनरेश बोहरे, पुत्र श्री राम करन बोहरे निवासी वीरेन्द्र नगर, लशकर रोड, जिला भिंड अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2021 को भागीदार (1) श्री विकास चतुर्वेदी पुत्र श्री मिथिलेश कुमार चतुर्वेदी, निवासी 45, अमरनाथ एवेन्यु, सनवर रोड उज्जैन (म. प्र.) नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों

मेसर्स बंगला कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
रामबरन चतुर्वेदी
अटेर रोड, भिंड,
(भागीदार)

(G-743)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स फोजन एग्रो इंडस्ट्रीज पंजीयन क्रमांक 04-14-0166-16 दिनांक 25-10-2016 पता एल.आई.जी.-31, न्यू पी.पी. कॉलोनी, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म. प्र.) उक्त फर्म में चार भागीदार हैं (1) दीपक कुमार समतानी पिता वी. एस. समतानी, (2) आशीष ब्रजपुरिया पिता अरविन्द ब्रजपुरिया, (3) मनीष गुप्ता पिता एन. पी. गुप्ता (4) जतिन सावला पिता कृति सावला उक्त फर्म में दिनांक 07-08-2021 को श्री रोशन मुलतानी पिता विजय कुमार मुलतानी पता-हृदय भवन, बिसाइड रेमण्ड शोरूम, नेपियर टाउन, बंदर कोला, जबलपुर सम्मिलित हो रहे हैं तथा भागीदार क्र. (2) आशीष ब्रजपुरिया, (3) मनीष गुप्ता (4) जतिन सावला रिटायर हो रहे हैं एवं फर्म का पता परिवर्तित होकर नया पता प्लॉट नं. 3, 4, उमरिया, डुंगरिया इंडस्ट्रीयल इस्टेट, जबलपुर (म. प्र.) किया जा रहा है. अतः किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म को कोई आपत्ति हो तो फर्म रजिस्ट्रार के कार्यालय जबलपुर में सात दिवस के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

मेसर्स फोजन एग्रो इंडस्ट्रीज,
दीपक कुमार समतानी,
(पार्टनर)

(G-744)

Under the Indian Partnership Act, 1932

Notice is hereby given that the Firms "R & K Hospitality" of Jabalpur vide Registration No. 04-14-01-0249-21 Year 2020-21, on 08-01-2021 undergone through the following Changes :-

That the Shri Prateek Sahni S/o Shri Jitendra Sahni, aged 25, R/o at 1885, Banarsidas ward, Gorakhpur, Jabalpur (M. P.) 482001 has desired to retire from the partnership firm and Smt Meet Chhabariya W/o Shri Ashish Chhabariya aged 28, R/o at 504, Vijay Shree Tower, Vijay Nagar, Jabalpur (M. P.) 482002 is admitted as new incoming partner to the said partnership firm w.e.f. 01-02-2021.

"R & K Hospitality"
(Raj Satyanarayan Chhabariya)
Partner
504, Vijay Nagar, Jabalpur .

(G-745)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शिव मिनरल्स, पता- 06- के.एम. सागर रोड, ढड़ारी, छतरपुर (म.प्र.) है. जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एफ.-225 सन् 2003 दिनांक 17 जुलाई 2003 है. दिनांक 01 जुलाई 2021 से फर्म के भागीदारों में परिवर्तन एवं मुख्य व्यवसायिक स्थान में परिवर्तन की सूचना मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग तीन (1) में दिनांक 01-10-2021 को प्रकाशित की गई थी. दिनांक 01-07-2021 से फर्म ने अपने अतिरिक्त व्यवसायिक स्थान के रूप में खसरा नम्बर 51/1 ग्राम-कोटा, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म. प्र.) -471005 जोड़ा है. अतः सर्व साधारण सूचित हों.

मेसर्स शिव मिनरल्स,
निखिल चतुर्वेदी,
(पार्टनर)

नया पता- 06- के.एम. सागर रोड,
ढड़ारी, छतरपुर (म.प्र.).

(G-746)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स इम्प्रेशन फर्नीचर इण्डस्ट्रीज जो 28 ए. जी. सेक्टर, जे. के. रोड, भोपाल में स्थित है एवं जिसका पंजीयन क्रमांक 01-01-01-00280/12-13 दिनांक 08-10-2012 है इसमें दिनांक 30-11-2019

को भागीदार (1) कुमारी सरिता बाथम पुत्री श्री पी. जी. बाथम, निवासी-18, सुदामा नगर, कोटरा, भोपाल, (2) श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री देवकी नंदन शर्मा, निवासी- ई/628 शबरीनगर, भानपुर, भोपाल, (3) श्री अरविन्द आर शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल लालाराम शर्मा, निवासी- 27 सी. शिप्रा, रिवेरा अपार्टमेंट, इंद्रपुरम गाजियाबाद (उ.प्र.), (4) श्री हिमांशु मिश्रा पुत्र श्री वीरेन्द्र शर्मा, निवासी 40 प्रगति नगर, अशोका गार्डन, गोविंदपुरा, भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं। शेष बचे भागीदार श्री चेतन सुखरमानी पुत्र स्व. श्री वी. सी. सुखरमानी एवं श्री राकेश सुखरमानी पुत्र श्री चेतन सुखरमानी, श्रीमती सीमा सुखरमानी पत्नी श्री राकेश सुखरमानी निवासीगण-3/22 अरेरा कॉलोनी, भोपाल ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि फर्म को कमान्नी एक्ट में परिवर्तित कर व्यवसाय किया जाये। निर्णय अनुसार वर्तमान में पंजीकृत फर्म मध्यप्रदेश भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत जारी फर्म को भंग करने का निर्णय सर्वसहमति से लिया गया। अतः दिनांक 30-11-2019 से फर्म को सर्वसहमति से भंग (विघटन) कर दिया गया है, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मेसर्स इम्प्रेशन फर्नीचर इण्डस्ट्रीज,
चेतन सुखरमानी,
(भागीदार)

(G-747)

28 ए. जी. सेक्टर, जे. के. रोड, भोपाल.

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता बाबूलाल रोहित उम्र 54 वर्ष वल्द जी. आर. रोहित, न्यायालय अधीक्षक, जिला उपभोक्ता आयोग, दमोह, निवासी बड़ापुरा दमोह एवं सिविल लाइन, सागर शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ

1. यह कि मैं और मेरा परिवार उपरोक्त पते के निवासी हैं।
2. यह कि मेरी पत्नि का नाम विवाहोपरांत से मेरी सेवापुस्तिका एवं कार्यालयीन अभिलेखों में मोहिनी रोहित दर्ज है।
3. यह कि मेरी पत्नि का नाम शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर परिवर्तित कर मेरी सेवा पुस्तिका एवं कार्यालयीन अभिलेखों में ममता रोहित दर्ज कराना चाहता हूँ।

पुराना नाम

नया नाम

(मोहिनी रोहित)

(ममता रोहित)

(G-748)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास मल्हारगंज, इंदौर, मध्यप्रदेश

सूचना-पत्र

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री राजेश कुमार सिंह पिता श्री शिवदानी चौकसे, निवासी- 50/52, सुयश विहार, इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा " इंडिपेंडेंट सोसायटी ऑफ हेल्थ कनसियसनेस" कार्यालय पता 50/52, सुयश विहार, इन्दौर (म.प्र.) का पब्लिक एक्ट की धारा 4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“ इंडिपेंडेंट सोसायटी ऑफ हेल्थ कनसियसनेस ”
पता	:	50/52, सुयश विहार, इन्दौर (म.प्र.)
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 25,000/- (अक्षरी रुपये पच्चीस हजार मात्र) है जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है.
अचल संपत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रकाशित किया गया.

राकेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-749)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग (मल्हारगंज),
इंदौर, मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री जगदीश चौकसे पिता स्व. श्री बिहारीलाल चौकसे, निवासी बी. जी. 09, स्कीम 74, विजय नगर, इंदौर द्वारा “ श्री हरि परमार्थिक ट्रस्ट ” तर्फे कार्यालय पता 84, सुंदर नगर, एक्सटेंशन (हरि पब्लिक स्कूल के पास), सुखलिया इंदौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदक पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“ श्री हरि परमार्थिक ट्रस्ट ”
पता	:	कार्यालय पता 84, सुंदर नगर, एक्सटेंशन (हरि पब्लिक स्कूल के पास), सुखलिया इंदौर.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) तथा
अचल संपत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

पराग जैन, रजिस्ट्रार.

(G-750)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 18 अक्टूबर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-सह.-परि.-2021-क्यु.- उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुग्ध उत्पादक सह.संस्था मर्या., नया बिलवा	1310/15-01-2002	संशोधित आदेश क्र. 708/19-07-2021	बड़वाह	आर.आर. भट्ट सहकारी निरीक्षक
2.	दुग्ध उत्पादक सह.संस्था मर्या., देवाड़ा	1459/21-10-2005	संशोधित आदेश क्र. 708/19-07-2021	भगवानपुरा	आर.आर. भट्ट सहकारी निरीक्षक
3.	दुग्ध उत्पादक सह.संस्था मर्या., थरड़पुरा	1462/21-10-2005	संशोधित आदेश क्र. 708/19-07-2021	भगवानपुरा	आर.आर. भट्ट सहकारी निरीक्षक

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध गावों को इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक तक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11 से दोपहर 03 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे/आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शायी लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोनस/शून्य काल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है.

आर. आर. भट्ट, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-751)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 06 अक्टूबर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (4) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2021-1114.- महालक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वाह व जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्र. 1790, दिनांक 10 मार्च 2014 को कार्यालयीन आदेश क्र.-परि.-708, दिनांक 19 जुलाई 2021 के संशोधित आदेश द्वारा

परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 19 सितम्बर 2021 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई, विशेष आमसभा में आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय लिया गया। परिसमापक श्री ठाकुर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से महालक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वाह को पुनर्जीवित किए जाने की अनुशंसा की गयी है। संस्था सदस्यों के हितों के संवर्धन को ध्यान में रखते हुए संस्था का पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम, 69 (4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में महालक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वाह व जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक 1790, दिनांक 10 मार्च 2014 को निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित करता हूँ :-

1. समिति कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से समय-समय पर कार्यालय को अवगत कराएगी।
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी।
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
4. नामांकित अवधि में संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी।
6. संस्था म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, नियम 1962 एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगी।

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो कि निम्नानुसार है :-

नामांकित कार्यकारिणी :-

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्री जसपाल भाटिया पिता श्री बुडढा सिंह | अध्यक्ष |
| 2. श्री भूपेन्द्र सिंह पिता श्री हरबंश सिंह | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री सुरेन्द्र पिता श्री बुडढा सिंह | संचालक |
| 4. श्री त्रिलोचन पिता श्री बुडढा सिंह | संचालक |
| 5. श्री इकबाल पिता श्री जसपाल सिंह | संचालक |
| 6. श्री बाबुलाल पिता श्री रामकिसन अग्रवाल | संचालक |
| 7. श्रीमती गुरमीत कौर पति श्री त्रिलोचन सिंह | संचालक |
| 8. श्रीमति जसपाल कौर पति श्री भूपेन्द्र सिंह | संचालक |
| 9. श्री मनीन्दर सिंह पिता श्री गुरविन्दर सिंह | संचालक |
| 10. श्री रघुवीर सिंह पिता श्री हरबंश सिंह | संचालक |
| 11. श्रीमती देवेन्द्र कौर पति श्री जसपाल भाटिया | संचालक |

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 18 अक्टूबर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परि-क्यु.-2021.- उप-पंजीयक, सहकारी समितियां जिला खरगोन द्वारा म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दक्षायणी बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., बड़वाह	1816/10-03-2014	1427/11-11-2020	बड़वाह	महेन्द्र ठाकुर
2.	शीतल बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बड़वाह	1863/10-03-2014	1454/11-11-2020	बड़वाह	महेन्द्र ठाकुर
3.	जय बलराम बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., गंधावड	1901/10-03-2014	1459/11-11-2020	सैगांव	महेन्द्र ठाकुर

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूं कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11 से दोपहर 03 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शायी गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है.

महेन्द्र ठाकुर, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

☞-753)

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, दमोह

दमोह, दिनांक 27 अगस्त 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र.-स.प.द.-परि-21-648.- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परि-361 दिनांक 26 मार्च 2016 के द्वारा भारत माता महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित कुडई जिसका पंजीयन क्रमांक 526 दिनांक 21 अक्टूबर 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत माता महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित कुडई का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-754)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.-स.प.द.-परि-21-640 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परि-348 दिनांक 26 मार्च 2016 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित हथना जिसका पंजीयन क्रमांक 567 दिनांक 01 जून 2004 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री उमेश खटीक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित हथना का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-754)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.-स.प.द.-परि-21-643 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परि-348 दिनांक 26 मार्च 2016 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित करैया राख जिसका पंजीयन क्रमांक 538 दिनांक 12 नवम्बर 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री के.एल. लखेरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित करैया राख का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-754)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र.-स.प.द.-परि-21-642 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परि-336 दिनांक 26 मार्च 2016 के द्वारा जय मां ईधन आर्पित सहकारी समिति मर्यादित हिडोरिया जिसका पंजीयन क्रमांक 582 दिनांक 08 दिसम्बर 2005 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री उमेश खटीक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय मां ईधन आर्पित सहकारी समिति मर्यादित हिडोरिया का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-754)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र.-स.प.द.-परि-21-641 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परि-348 दिनांक 26 मार्च 2016 के द्वारा रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित चौपरा नंदरई जिसका पंजीयन क्रमांक 539 दिनांक 13 दिसम्बर 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री के.एल. लखेरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित चौपरा नंदरई का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-754)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र.-स.प.द.-परि-21-647 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परि-340 दिनांक 26 मार्च 2016 के द्वारा सरस्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित रनेह जिसका पंजीयन क्रमांक 531 दिनांक 28 अक्टूबर 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री उमेश खटीक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरस्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित रनेह का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-754)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र.-स.प.द.-परि-21-645 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परि-352 दिनांक 26 मार्च 2016 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित भरतला जिसका पंजीयन क्रमांक 557 दिनांक 31 जुलाई 2003 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित भरतला का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-754)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र.-स.प.द.-परि-21-646 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परि-357 दिनांक 26 मार्च 2016 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित धाटपिपरिया जिसका पंजीयन क्रमांक 558 दिनांक 31 जुलाई 2003 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित धाटपिपरिया का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-754)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र.-स.प.द.-परि-21-644 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परि-357 दिनांक 26 मार्च 2016 के द्वारा इन्दिरा गांधी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित सिहोरा तेजगढ जिसका पंजीयन क्रमांक 561 दिनांक 27 सितम्बर 2003 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित सिहोरा तेजगढ का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-754)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र.-स.प.द.-परि-21-639 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परि-340 दिनांक 26 मार्च 2016 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित रनेह जिसका पंजीयन क्रमांक 610 दिनांक 03 नवम्बर 2009 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री उमेश खटीक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित रनेह का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

राजु डावर, सहायक पंजीयक.

(G-754)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2021—कार्तिक 21, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)